संख्या-73/2023/283/23-9-2023/001/01नाबार्ड(स0मा0)-2020

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर/वाराणसी,
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के नाबार्ड पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 02 चालू कार्य हेतु लैप्स धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1361/2ए, दि0 25.07.2022 एवं पत्र सं0-367/1सीबी दि0 03.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद जौनपुर एवं वाराणसी के 02 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 64,75,000/- (रूपये चौसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की लैप्स धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	लैप्स धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि(लैप्स धनराशि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जौनपुर	जमालापुर-बरसठी-बंधवा मार्ग(ओ0डी0आर0) से उमरम सम्पर्क मार्ग से उमरम हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	65/2020/288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टीसी, दि0 19.03.2020	66.69	30.01	36.68	13.33	36.68
2	वाराणसी	विकास खण्ड बडागॉव में राजस्व ग्राम साधोगंज अनेई मार्ग(ओ0डी0आर0) के कि0मी0 4.4 से राजस्व ग्राम खरावन तक सम्पर्क मार्ग के कार्य।	65/2020/288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टीसी, दि0 19.03.2020	51.03	22.96	28.07	28.07	28.07
		योग						64.75

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त योजनान्तर्गत निर्माणधीन कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त मार्ग के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 64,75,000 (रुपये चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892700 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज/संबंधित मण्डालायुक्त ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
3- महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
7- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
8- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
9- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, संबंधित खण्ड।
11- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
13- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in